परिपत्र संख्या 35/10

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(42)जन./2010/21622 दिनांकः 01-11-2010

परिपत्र

विषयः नोटरी के द्वारा नोटेरी कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में संधारित रजिस्टर का निरीक्षण करने बाबत्।

नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत नोटेरी के द्वारा किये गये कार्य के लिये धारा 15(2)(ई) सपठित नोटेरी नियम, 1956 के नियम 11(2) के अन्तर्गत निम्न फॉर्म संख्या XV में रजिस्टर का संधारण करना अनिवार्य है :-

S.No.	*Date*	*Nature of notarial act.*	*Name of executant or person concerned with full address*	*Contents of document*	*Notarial fee stamp affixed*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Prescribed fees	*Fees charged*	*Serial No. of Receipt Book*	*Signature of person concerned*	*Signature of notary*
7	*8*	*9*	*10*	*11*

विधि एवं संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान-जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.31(12)न्याय/85 दिनांक 6.9.94 के द्वारा उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) व उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक को उनके क्षेत्र में नियुक्त नोटेरी द्वारा संधारित रजिस्टरों के निरीक्षण हेतु नियुक्त करते हुये यह अधिकार दिया गया है कि वे नोटेरी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अपनी रिपोर्ट राज्य को प्रेषित करेगें।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 16.12.97 के अनुसार नोटरी अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त नोटरी कार्यालय को स्टाम्प अधिनियम की धारा-37 (3) के अन्तर्गत पब्लिक ऑफिस घोषित किया हुआ है। पब्लिक ऑफिस के कार्यालयध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के दस्तावेज यथाविधि पूर्ण मुद्रांकित हैं और मुद्रांक की कमी है तो अपने स्तर पर अथवा स्टाम्प एक्ट की धारा-37 (4) की कार्यवाही कर पूर्ति करावें। स्टाम्प अधिनियम की धारा-37 (3) व 37 (4) सुलभ सन्दर्भ हेतु नीचे उद्धर्त की जाती है-

37 (3) शंका की दशा में इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जावेगा, और

(ख) राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि किन व्यक्तियों को लोक कार्यालयों का भारसाधक समझा जायेगा।

37 (4) जब किसी लोक कार्यालय के भारसाधक व्यक्ति को निरीक्षण के दौरान या अन्यथा किसी लिखत या उसकी प्रति से यह पता चले या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उससे यह प्रतीत हो कि लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है तो वह व्यक्ति तुरन्त उस मामले को कलक्टर को निर्दिष्ट करेगा।

मुद्रांक एवं पंजीयन मार्गदर्शिका, 2009 के परिपत्र संख्या 19/09 के द्वारा नोटेरी के कार्यो का निरीक्षण एवं दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क की करापवंचन पर अकुंश लगाने के लिये की जानी वाली कार्यवाही हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुये है। लोक कार्यालय के प्रभावी निरीक्षण के संबंध में विभाग की ओर से परिपत्र संख्या 26/10 क्रमांक एफ.6(1) विविधि/निरी/10/594 दिनांक 31.8.10 से भी विस्तृत निर्देश प्रसारित किये हैं। उप महानिरीक्षक की समीक्षा बैठकों में भी इस विषय पर नियमित रूप से चर्चा की जाकर दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं।

नोटेरी नियम, 1956 के नियम 11(2) में वर्णित प्रावधान अनुसार नोटेरी के द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान किये गये कार्यो का इन्द्राज रजिस्टर में किया जाता है। रजिस्टर के कॉलम संख्या 4 में दस्तावेज निष्पादक या दस्तावेज से सम्बन्धित व्यक्ति का पता सहित विवरण व कॉलम संख्या 5 में दस्तावेज के तथ्यों का विवरण का इन्द्राज किया जाता है।

नोटेरी के द्वारा संधारित उपरोक्त रजिस्टर का निरीक्षण कर दस्तावेज के तथ्यों एवं पक्षकारों की जानकारी एकत्रित करें तथा रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेजो का इन्द्राज पाये जाने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 55 के तहत सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी कर मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत अपर्याप्त या बिना मुद्रांक पर निष्पादित दस्तावेजों का नोटेरी द्वारा सत्यापन करना पाया जावे तो ऐसी स्थिति में भी उन दस्तावेजों के संबंध में जानकारी लेकर मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्यवाही की जावे।

जिन नोटेरी के द्वारा विधिक प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिये अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जाकर इस कार्यालय को भी सूचित करें।

महानिरीक्षक, 01/11/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(42)जन/10/21623-21907 दिनांकः 01-11-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर/समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान परिपत्र की प्रतियाँ सभी नोटरीज को उपलब्ध करावें और प्रेस नोट के माध्यम से प्रचार-प्रसार करावें।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
9. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक, 1/11/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर